

**एपीएल/स्टेट बीपीएल/बीपीएल/अन्त्योदय राशन कार्ड में यूनिट संशोधन
पता परिवर्तन एवं डुप्लिकेट राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन फार्म प्रपत्र – ब**

प्राप्ति व

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

आवेदन संख्या/दिनांक

एपीएलस्टेट बीपीएलबीपीएल/अन्त्योदय राशनकार्ड में जारी सूचिटो में संशोधन, पता परिवर्तन एवं डुप्लिकेट राशन कार्ड बनाये जाने का आवेदन पत्र

1. सम्बन्धित विवरण :- '०' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।

राशन कार्ड संख्या (12 डिजिट)		
राशन कार्ड में दर्ज मुखिया का नाम		
मुखिया के पिता का नाम		
मोबाइल नम्बर		
ई.गोट नम्बर		
प्रकाश नम्बर/प्रदर्शन कार्ड	मकान नम्बर/मकान का नाम	गैरहृत्ता/कॉर्टेनी/लैंड मार्क/लोकलिटी
पर्यायत समिति (केवल अपेक्षा के हेतु लगा)	ग्राम पंचायत: (केवल यानेण क्षेत्र हेतु लगा)	ग्राम/वार्ड सं.: (केवल यानेण क्षेत्र हेतु लगा)
नगर निगम/नगर पालिका/परिषदः (केवल अपेक्षा के हेतु लगा)	नगर निगम/नगर पालिका/परिषद का वार्ड नम्बर: (केवल हरी लेप हेतु लगा)	जिला: पिन नम्बर

फोटो आवेदक
(मुखिया)

आवेदक के हस्ताक्षर

2. मेरा उक्त राशनकार्ड उचित भूल्य दुकान सं....., नाम दुकानदार..... का या जो विरुद्धित हो/ गुम/फट गया है। अतः डुप्लिकेट जारी करें। खोये हुए राशन कार्ड की फोटोप्रिति/कटा-फटा राशन कार्ड संलग्न है। खोया हुआ राशन कार्ड मिलने पर मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। मैंने राशन कार्ड खोने की सूचना भी सम्बंधित उचित भूल्य दुकानदार को दे दी है।

3. मैं निवास स्थान बदलने के कारण राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तन हेतु आवेदन करता/करती हूँ कृपया जिम्मानुसार मेरे राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तित करें-

राशन कार्ड में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में मेरा पता :- '०' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।	मकान नम्बर/मकान का नाम	गैरहृत्ता/कॉर्टेनी/लैंड मार्क/लोकलिटी
पर्यायत समिति (केवल अपेक्षा के हेतु लगा)	ग्राम पंचायत: (केवल यानेण क्षेत्र हेतु लगा)	ग्राम/वार्ड सं.: (केवल यानेण क्षेत्र हेतु लगा)
नगर निगम/नगर पालिका/परिषदः (केवल अपेक्षा के हेतु लगा)	नगर निगम/नगर पालिका/परिषद का वार्ड नम्बर: (केवल हरी लेप हेतु लगा)	जिला: पिन नम्बर

विद्यु ३ हेतु मेरे जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति/कच्ची बस्ती सर्वे युक्त सम्पत्ति/मेरे किराये के मकान में निवास करता हूँ।

या राजस्थान राज्य से बाहर निवास करने के कारण समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ।

4. मैं जिम्मानित नामों को सम्मिलित करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ-

क्र. सं.	नाम*	पिता का नाम*	पिता का नाम*	जीवन साथी का नाम यदि दिवाहित है तो	लिंग* M/F/Other	जन्म दिनांक *	मुखिया से संबंध*	यूनिक आईडी (UID)/आधार क्रमांक	विकलांग (हानि)	विद्या/परिवर्तन (हानि)
1										
2										
3										
4										

नोट - '०' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की अधिक होने पर क्रम सं 4 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ दें।

5. मैं जिम्मानित नामों को मेरे परिवार राशन कार्ड से घटाने/समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ-

क्र. सं.	नाम*	लिंग* M/F/Other	मुखिया से संबंध*	घटाने का कारण	समर्पण प्रमाण पत्र कहाँ के लिए जारी करना है
1					
2					
3					
4					
5					
6					

नोट - '०' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की अधिक होने पर क्रम सं 6 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ दें।

हस्ताक्षर आवेदक

6. राशनकार्ड की विशिष्टियों की बिंदुओं में परिवर्धन/संशोधन - उदाहरणार्थ वर्तनी शुद्धि, पिता/माता का नाम, पता, गैस कनेक्शन सम्बन्धी विशिष्टियां, जड़भट्टखड़ा सम्बन्धी प्रविष्टियां, उचित मूल्य दुकान विवरण की प्रविष्टियां, राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों के नाम, जन्म दिनांक व मुखिया से सम्बन्ध में संलग्न कराने के लिए जारी मूल राशनकार्ड में अशुद्धि/वांछित परिवर्धन योग्य विशिष्ट पर आवेदक द्वारा गोला कर सही विशिष्ट स्वयं के हस्ताक्षर से अंकित की जावे तथा मूल राशनकार्ड आवेदन फार्म के साथ संलग्न किया जावे। यदि बुटी आवेदक के मूल फार्म में भरी गयी सूचना से विवाज करती है तो आवेदक ने परिवर्धन एवं संशोधन के सम्बन्ध में दस्तोवज प्रस्तुत करने होंगे।

परिवर्धन/संशोधन का संशिप्त विवरण-

7. घोषणाएँ-

नोट- संघर्ष का जो बिंदु लागू नहीं हो उसे काट देवे।

- (क) मेरा आयकर विभाग का पेन क्रमांक है। मेरे राशन कार्ड में “मेरे आयकर दाता हूँ नहीं हूँ” अंकित है जिसके स्थान पर लिखा जावे क्यों कि मैं आयकर दाता हूँ नहीं हूँ।
- (ख) मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन नं. गैस एजेन्सी डीवीसी/एसवीसी अंकित है विस्तके स्थान पर गैस कनेक्शन नं. गैस एजेन्सी डीवीसी/एसवीसी अंकित किया जावे यह मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं है अतः मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन सम्बन्धित प्रविष्टि हटाइ जावे।
- (ग) मेरा नाम बीपीएल चयन सूची वर्ष क्रमांक वार्ड औ/अन्त्योदय सूची वर्ष क्रमांक वार्ड में है जिन्हें मुझे श्रेणी का राशन कार्ड जारी कर दिया है अतः राशन कार्ड संलग्न कर निवेदन है कि मुझे श्रेणी का राशन कार्ड जारी किया जावे।
- (घ) इस प्रभाव के बिंदु 4 में दांगेत सदस्यों का नाम पहले से किसी भी अन्य प्रचलित राशनकार्ड में नहीं है और ना ही इस हेतु पहले कहीं आवेदन किया गया ही न है कोई सदस्य सेना से राशन लेता है।
- (इ) इस प्रभाव के बिंदु 3 हेतु मैं जिस मकान का पता दिया है वह मेरी जिजी सम्पत्ति है/मैं किराये के मकान में निवास करता हूँ।
- (ब) इस प्रभाव के बिंदु 5 में श्री/श्रीमती/सुश्री का नाम विवाह/मृत्यु/तलाक/परिवर्यक्ता/स्थानान्तरण/अलग निवास/अलग रसोई हेते के कारण घटाने के लिए आवेदन किया गया है। श्री रिश्ते में मेरे (मृतक से सम्बन्ध) हैं, इनकी मृत्यु के बाद मैं ही वह मैं वरिष्ठ सदस्य हूँ, इनके राशन कार्ड में मेरा नाम दर्ज है, अतः इनका नाम विलोपित करते हुए मेरे नाम से परिवार नुखिया के रूप में परिवर्धित राशन कार्ड जारी करें।
- (ज) इस प्रभाव के बिंदु 6 के क्रम में मेरे द्वारा मूल राशन कार्ड में मेरे द्वारा अशुद्धि/वांछित परिवर्धनीय विशिष्टी पर गोला कर शुद्ध वर्तनी/परिवर्धित विशिष्टी अंकित की गयी है जिसे मेरे राशन कार्ड में शुद्ध किया जावे।
- (ज) मैं श्री/ श्री परिवार राशनकार्ड का उपयोग राशन वस्तुये प्राप्त करने के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नहीं करेगा।
- (झ) मुझे पता है कि राशनकार्ड सरकार की सम्पत्ति है। इसे जब भी सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करने को कहेंगे मैं प्रस्तुत कर दूँगा। तथ्यों की जांच कभी भी की जा सकती है। गत सूचना पाये जाने पर मेरा राशनकार्ड निरस्त किया जा सकता है ही तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (ञ) इस प्रभाव के बिंदु 1 से 7 में दी गई समस्त जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

स्वाम

दिनांक:

हस्ताक्षर आवेदक

उत्त्यापन

इस प्रभाव के बिंदु 3 हेतु मैं दिए गए मकान के पते पर श्री.....पुत्र श्री.....परिवार सहित अवधि..... से निवास कर रहे हैं। यह मकान मेरी जिजी सम्पत्ति है। (बिंदु 3 लागू होने पर ही सत्यापन कराया जाना है)

हस्ताक्षर मकान मालिक

कार्यालय/कियोस्क द्वारा कार्यवाही

चैक टिस्ट

क्या आवेदक द्वारा आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ स्वयं, मकान मालिक के हस्ताक्षर एवं फोटो सहित प्रस्तुत किया है?

हाँ/नहीं

संलग्न दस्तावेजों का विवरण:-

- पूर्वी क्षेत्र राशनकार्ड ब्रिस्टोलिकरण बालत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण पत्र। हाँ/नहीं
- जिवास बालत प्रमाण यथा बिजली/पानी विल, नगर निकाय की गृहकर रसीद, वोटर पहचान पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति। हाँ/नहीं
- नवविवाहित का नाम दर्ज करने हेतु पिता के राशनकार्ड से नाम कम कराने/शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र। हाँ/नहीं
- बच्चे का नाम दर्ज करने हेतु नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र बच्चा गोद लेने के स्टिफिकेट की प्रति। हाँ/नहीं
- ट्रूसीवेट राशनकार्ड हेतु पूर्व प्रचलित कार्ड की फोटोप्रति/शपथ पत्र। या कटा/फटा/विस्तृपित राशनकार्ड। हाँ/नहीं
- मूल राशन कह्न। हाँ/नहीं
- उमेर पर्वतम करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। हाँ/नहीं
- नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/तलाकनामे की स्वप्रमाणित प्रति। परिवर्यक्ता का स्व प्रमाणित शपथ पत्र। हाँ/नहीं
- नाम में परिवर्धन हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ पत्र अथवा राजकीय मुद्रणालय से जारी गजट की स्वप्रमाणित फोटोप्रति। हाँ/नहीं
- स्व प्रमाणित शपथ पत्र। हाँ/नहीं
- जाम झुग्गिये के लिए समर्पण प्रमाण पत्र।
- अन्य.....

संलग्नका की कृत ऐज संख्या.....

हस्ताक्षर लिपिक/कियोस्क धारी